भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 415
जिसका उत्तर गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

## न्यायालयीन मामलों में सरकारी मुकदमेबाजी का प्रतिशत

**415 श्री नीरज शेखर :**
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) आज की तारीख के अनुसार न्यायालयों में लंबित कुल मामलों में से सरकारी मुकदमों की प्रतिशतता का राज्य-वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और
(ख) आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने हेतु किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

## उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** इस संबंध में आंकड़े परिवर्तनात्मक है और बदलते रहते हैं । जबकि अपेक्षित आंकड़े प्रश्न (क) में वांछित प्ररूप और रीति में सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं । तथापि, भारत संघ को अंतर्वलित करने वाले मुकदमें के संबंध में जानकारी, विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) द्वारा रखी जाती है, जिसे क्रमश: **उपाबंध-1, उपबंध-2, उपाबंध-3** पर रख दिया गया है । यह भी ध्यान दिया जाए कि राज्यवार/न्यायालयवार कुल मुकदमेबाजी संबंधी जानकारी (सरकारी और प्राइवेट दोनों) (जिसके अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या और निपटान भी है) राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड [https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/index.php] के वेब पेज पर उपलब्ध है ।]

**(ख)** : न्यायालय मामलों में लंबित मामलों की संख्या में कमी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती है क्योंकि मामलों का न्यायनिर्णयन न्यायालयों द्वारा किया जाता है । सरकार की न्यायालयों में मामलों के न्यायनिर्णयन और समय पर इनके निपटान में कोई भूमिका नहीं होती है । तथापि, केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान तथा लंबित मामलों की संख्या को कम करने में सहायता करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए पारिस्थितिक तंत्र का उपबंध करने के लिए, सरकार ने अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन स्थापित किया है, जिसके प्रणाली में विलंबों तथा बकाया मामलों को कम करके तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर और निष्पादन मानकों एवं क्षमताओं को तय करके पहुंच में वृद्धि करने के युगल उद्देश्य हैं । मिशन, बकाया मामलों के चरणबद्ध परिसमापन और न्यायिक प्रशासन में लंबित मामलों की संख्या के लिए एक समन्यवित दृष्टिकोण का अनुसरण करता रहा है, जो अन्य बातों के साथ, कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीति एवं विधायी उपायों, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी और मानवीय संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना भी अंतर्वलित है ।

न्याय परिदान के हेतुक की सहायता करने के लिए न्याय विभाग द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार है :--

(i) न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के संनिर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रही हैं, जो वकीलों और मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों के जीवन को सुकर बनाएंगी, जिसका परिणाम न्याय परिदान करने में सहायता करना है । आज की तारीख तक, वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के समय से 11167.36 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2024 तक 23,020 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2024 को 20,836 हो गई है ।

**(ii)** इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, भारतीय न्यायपालिका की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्समान जेलों के बीच प्रदान की है । तारीख 30.04.2024 तक, 1050 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों के लिए नागरिक केंद्रक सेवाओं को सुकर बनाया जा सके । तारीख 31.05.2024 तक 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 28 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । और इन न्यायालयों ने 5.8 करोड़ से अधिक मामलों पर कार्रवाई की है और 561.09 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है ।

(iii) मंत्रिमंडल ने ई-न्यायालय चरण-3 का तारीख 13.09.2023 को अनुमोदन कर दिया है जिसमें बजटीय परिव्यय 7210 रुपए का है । चरण-1 और चरण-2 की अभिवृद्धि को अगले स्तर तक ले जाते हुए, चरण 3 का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच सृजित करना है, जो न्यायालयों, वादकारियों और अन्य पणधारियों के बीच निर्बाध और कागजरहित अंतरापृष्ठ की व्यवस्था करेगा । परियोजना के लिए प्रस्तावित समय-सीमा चार वर्ष है, जो 2023 से आरंभ होती है । इसमें न्यायालय अभिलेखों के डिजीटीकरण, विरासत अभिलेख और लंबित अभिलेख दोनों ; आधुनिक तथा सहज पुन: प्राप्ति के लिए नवीनतम कल्पना आधारित आंकड़ा निधान ; संपूर्ण भारत के सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र ; कागजरहित न्यायालयों ; जिला अस्पतालों को भी कवर करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना ; न्यायालय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण तथा वर्चुअल न्यायालयों के कार्यक्षेत्र का विस्तार की परिकल्पना की गई है । यह परियोजना "स्मार्ट" पारिस्थितिक तंत्र बनाकर सरलतर उपयोक्ता अनुभव का उपबंध करने में सहायक होगी । रजिस्ट्रियों में कम आंकड़ा प्रविष्टि तथा न्यूनतम फाइल संवीक्षा होगी, जिससे बेहतर निर्णय करने तथा नीति नियोजन सुकर हो सकेगा । इस प्रकार, ई-न्यायालय चरण 3 देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता तथा निर्विघ्न बनाकर न्याय की सुगमता सुनिश्चित करने में गेम चेंजर साबित होगा ।

(iv) ई-न्यायालय चरण 3 के अधीन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आबंटित 825 करोड़ रुपए में से, इस परियोजना के अधीन एकल वित्तीय वर्ष में 805.57 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई थी, जो अब तक की सबसे अधिक निधि हैं । निधियां मास अक्तूबर, 2023 में प्राप्त हुई थीं और 768.25 करोड़ (93.11%) का व्यय पांच मास के अंतराल में किया गया था, जो आज की तारीख तक ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सबसे अधिक है । वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बजट प्राक्कलन में 1500 करोड़ रुपए का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 464.98 करोड़ रुपए विभिन्न न्यायालयों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।

**(v)** सरकार, नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 09.07.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 62 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 976 नए

न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे तथा 745 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे । मई 2014 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

| **निम्नलिखित तारीख तक** | **स्वीकृत संख्या** | **कार्यरत पद संख्या** |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 10.07.2024 | 25,523 | 20414 |

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

(vi) अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।
(vii) चौदहवें वित्त आयोग के तत्वाधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की है। 31.05.2024 तक जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के मामलों पर विचारण करने के लिए 866 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से को अंतर्वलित करने वाले दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए, दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है । तारीख 31.05.2024 तक कुल 755 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी), जिनमें पाक्सो (ई-पाक्सो) न्यायालयों के छोड़कर 410 न्यायालय संपूर्ण देश में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 253000 मामलों का निपटान किया है ।

**(viii)** लंबित मामलों की संख्या को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से, सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।
**(ix)** वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मन से संवर्धन किया गया है । तदनुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को वाणिज्यिक विवादों की दशा में पूर्व संस्थन मध्यकता और निपटान (पीआईएमएम) को आज्ञापक बनाने लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया था । विहित की गई समय-सीमाओं के अनुसार, विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(x) लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी प्रक्रम पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए किसी पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में किसी पूर्व निर्धारित तारीख को साथ-साथ आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटान किए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

| **वर्ष** | **पूर्व-मुकदमेबाजी मामले** | **लंबित मामले** | **कुल मामले** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 (24 जून तक) | 2,86,75,168 | 56,88,231 | 3,43,63,399 |
| कुल | **13,79,29,657** | **3,64,90,006** | **17,44,19,663** |

(xi) सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशत-वार ब्यौरा**

| 30 जून, 2024 तक | रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज | %वार ब्यौरा | सलाह सक्षम की गई | %वार ब्यौरा |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग वार** | | | | |
| महिला | 34,77,951 | 38.43 | 34,38,027 | 38.38 |
| पुरुष | 55,73,180 | 61.57 | 55,19,687 | 61.62 |
| **जाति श्रेणी वार** | | | | |
| सामान्य | 21,09,811 | 23.31 | 20,81,215 | 23.23 |
| ओबीसी | 28,25,925 | 31.22 | 27,95,376 | 31.21 |
| एससी | 29,01,087 | 32.05 | 28,74,044 | 32.08 |
| एसटी | 12,14,308 | 13.42 | 12,07,079 | 13.48 |
| **कुल** | **90,51,131** | | **89,57,714** | |

**(xii)** देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 89 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अधीन की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं :--

(i) पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि, उच्च लागत और मुकदमेबाजी में अत्यधिक देरी के मुद्दों को हल करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के क्षेत्र में विभिन्न पहल की हैं। सरकार माध्यस्थम और मध्यक्ता सहित एडीआर तंत्र को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये तंत्र कम विरोधाभासी हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं।

(ii) इन तंत्रों को मजबूत करने और उन्हें उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी और शीघ्र बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं।

(iii) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015, 2019 और 2020 में क्रमिक रूप से संशोधित किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही का समय पर निष्कर्ष, मध्यस्थत की तटस्थता, माध्यस्थम प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और माध्यस्थम पंचाट का त्वरित प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थता को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानून को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं को हल करना है, जिससे एक मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके जहां मध्यस्थ संस्थान फल-फूल सकें।

(iv) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (केंद्र) की स्थापना और निगमन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। केंद्र दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के लिए लागत प्रभावी तरीके से अपनी सुविधाओं पर विश्व स्तरीय माध्यस्थता संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें प्रतिष्ठित पैनलबद्ध माध्यस्थ और मध्यस्थता कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित प्रशासनिक सहायता शामिल होगी।

(v) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को पूर्व-संस्था माध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। इस तंत्र के अधीन, जहां निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में किसी तत्काल अंतरिम राहत को पूरा नहीं करता है पक्षों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले पीआईएमएस के अनिवार्य उपाय का उपयोग करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करना है।

(vi) हाल ही में अधिनियमित मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यस्थता के लिए विधिक ढांचा तैयार करता है, विशेष रूप से संस्थागत माध्यस्थता जहां देश में एक मजबूत और प्रभावकारी मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है।

**********

**उपाबंध-1**

**19 जुलाई, 2024 को**

**राज्यवार न्यायालयीन मामले (उच्च न्यायालय तथा जिला और सत्र न्यायालय)***

| क्र.सं. | राज्य | कुल लंबित मामले | उच्च न्यायालय | जिला और सत्र न्यायालय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 9516 | 8857 | 659 |
| 2 | असम - गुवाहाटी | 5422 | 4430 | 992 |
| 3 | बिहार | 10648 | 8028 | 2620 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 3332 | 2556 | 776 |
| 5 | दिल्ली | 29390 | 23098 | 6292 |
| 6 | गुजरात | 17179 | 12122 | 5057 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 4287 | 3239 | 1048 |
| 8 | झारखण्ड | 5467 | 5142 | 325 |
| 9 | कर्नाटक | 14550 | 10309 | 4241 |
| 10 | केरल | 14183 | 13525 | 658 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 17950 | 12146 | 5804 |
| 12 | महाराष्ट्र | 36044 | 27760 | 8284 |
| 13 | मणिपुर | 744 | 669 | 75 |
| 14 | मेघालय | 620 | 345 | 275 |
| 15 | ओडिशा | 10629 | 9003 | 1626 |
| 16 | पंजाब और हरियाणा | 26821 | 16759 | 10062 |
| 17 | राजस्थान | 17027 | 13851 | 3176 |
| 18 | सिक्किम | 85 | 58 | 27 |
| 19 | तमिलनाडु | 24681 | 20643 | 4038 |
| 20 | तेलंगाना | 13285 | 12183 | 1102 |
| 21 | त्रिपुरा | 699 | 465 | 234 |
| 22 | उत्तराखंड | 2804 | 2018 | 786 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 28320 | 20138 | 8182 |
| 24 | जम्मू-कश्मीर | 5850 | 4646 | 1204 |
| 24 | पश्चिमी बंगाल | 32919 | 21083 | 11836 |
| **कुल** | | **332452** | **253073** | **79379** |

* केन्द्रीय सरकार के मामलों से संबंधित विवरण 56 मंत्रालयों/विभागों द्वारा एलआईएमवीएस पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं। एलआईएमवीएस पोर्टल पर डेटा उपयोगकर्ता आधारित है, और इसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किया जाता है, न कि केंद्रीय रूप से विधि कार्य विभाग द्वारा ।

**उपाबंध- 2**

**19 जुलाई, 2024 को**

| क्र.सं. | कुल लंबित मामलों के न्यायालय-वार ब्यौरे | |
|---|---|---|
| | **न्यायालय का नाम** | **कुल लंबित मामलें** |
| 1 | उच्चतम न्यायालय | 17779 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 253073 |
| 3 | अधिकरण | 275181 |
| 4 | **जिला और सत्र न्यायालय** | 79379 |
| 5 | अन्य न्यायालय (जिला और सत्र न्यायालयों से भिन्न) | 73492 |
| | **कुल मामले** | **698904** |

* केन्द्रीय सरकार के मामलों से संबंधित विवरण 56 मंत्रालयों/विभागों द्वारा एलआईएमवीएस पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं। एलआईएमवीएस पोर्टल पर डेटा उपयोगकर्ता आधारित है, और इसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किया जाता है, न कि केंद्रीय रूप से विधि कार्य विभाग द्वारा ।

**उपाबंध-3**

**19 जुलाई, 2024 को**

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | कुल लंबित मामले* |
|---|---|---|
| 1 | कृषि एंव किसान कल्याण | 3641 |
| 2 | आयुष | 963 |
| 3 | रसायन और उर्वरक | 792 |
| 4 | नागर विमानन | 570 |
| 5 | कोयला | 4114 |
| 6 | वाणिज्य और उद्योग | 5225 |
| 7 | संचार दूरसंचार (डीओटी) | 12863 |
| 8 | संचार (डीओपी) | 21004 |
| 9 | भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक | 24018 |
| 10 | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | 1192 |
| 11 | कारपोरेट कार्य | 35322 |
| 12 | संस्कृति | 2434 |
| 13 | रक्षा | 95467 |
| 14 | परमाणु ऊर्जा विभाग | 1020 |
| 15 | अंतरिक्ष विभाग | 601 |
| 16 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | 17 |
| 17 | पृथ्वी | 269 |
| 18 | शिक्षा (एमओई) | 17728 |
| 19 | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | 1135 |
| 20 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन | 3013 |
| 21 | विदेश | 2473 |
| 22 | वित्त | 189289 |
| 23 | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी | 573 |
| 24 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 64 |
| 25 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 10407 |
| 26 | भारी उद्योग | 388 |
| 27 | गृह | 24409 |
| 28 | आवासन और शहरी | 3791 |
| 29 | सूचना और प्रसारण | 2476 |
| 30 | जल शक्ति (जल संसाधन विभाग) | 1326 |
| 31 | जल शक्ति (पेयजल और स्वच्छता) | 21 |
| 32 | श्रम और रोजगार | 79988 |
| 33 | विधि और न्याय | 702 |
| 34 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 920 |

| | | 19 जुलाई, 2024 को |
|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **मंत्रालय/विभाग** | **कुल लंबित मामले*** |
| 35 | खान | 1675 |
| 36 | अल्पसंख्यक मामले | 269 |
| 37 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | 80 |
| 38 | पंचायती राज | 13 |
| 39 | संसदीय कार्य | 3 |
| 40 | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 3783 |
| 41 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 125 |
| 42 | बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग | 5275 |
| 43 | विद्युत | 655 |
| 44 | रेल | 114557 |
| 45 | सड़क परिवहन और राजमार्ग | 14837 |
| 46 | ग्रामीण विकास | 945 |
| 47 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 862 |
| 48 | कौशल विकास और उद्यमिता | 583 |
| 49 | सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण | 1703 |
| 50 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | 411 |
| 51 | इस्पात | 816 |
| 52 | वस्त्र | 1272 |
| 53 | पर्यटन | 425 |
| 54 | जनजाति कार्य | 339 |
| 55 | महिला और बाल विकास | 900 |
| 56 | युवा मामले और खेल | 804 |
| **कुल** | | **698904** |

* केन्द्रीय सरकार के मामलों से संबंधित विवरण 56 मंत्रालयों/विभागों द्वारा एलआईएमवीएस पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं। एलआईएमवीएस पोर्टल पर डेटा उपयोगकर्ता आधारित है, और इसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किया जाता है, न कि केंद्रीय रूप से विधि कार्य विभाग द्वारा ।

**********